प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 22.12.2024

क्राइम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा मोबाइल टावरों के उपकरण चोरी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, 05 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का करीब 07 करोड़ रूपये का माल व घटना मे प्रयुक्त 03 वाहन बरामद

दिनाँक-22/12/2024 को क्राइम ब्रांच पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद व वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा गाजियाबाद, दिल्ली एन0सी0आर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, मध्यप्रदेश व असम में एयरटेल व जिओ कम्पनी के मोबाइल टावरों से रेडियो रिसीवर यूनिट, बेसबैण्ड यूनिट आदि इलैक्ट्रानिक डिवाईस चोरी करने वाले शातिर अपराधियों के अन्तर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 05 अभियुक्तों को थाना वेव सिटी क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की गयी है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से मोबाइल टावरों से किये गये चोरी के रेडियो रिसीवर यूनिट, मोबाइल टावरों की बेसबैण्ड यूनिट तथाचोरी की घटना कारित करने में प्रयुक्त वाहन थार, स्विफ्ट कार व फ्रोन्क्स कार बरामद हुई है , जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 07 करोड रूपये से अधिक है।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ पर पकडे गये शातिर अभियुक्त शाहरूख मलिक ने बताया कि उसने बी0ए0 द्वितीय वर्ष में अपनी शिक्षा छोड दी थी। पढाई छोडने के बाद उसने कुछ समय बिरयानी की दुकान खोली थी तथा उसके बाद वर्ष 2021 से अपने पिता के साथ कबाड का काम करने लगा उसका भाई नईम भी कबाड का काम करता था। नईम, जावेद मीरापुरिया के सम्पर्क में आकर मोबाइल टावरों से चोरी किये गये ईलैक्ट्रोनिक डिवाइसों की खरीद-फरोख्त मे लग गया था नईम के साथ ही शाहरूख भी यह काम करने लगा। करीब 08 माह पहले नईम आर0आर0यू0 की चोरी मे गाजियाबाद से जेल चला गया था नईम की गिरफ्तारी पर उस समय 50,000 रू0 का पुरस्कार घोषित था। नईम के जेल जाने के बाद शाहरूख ने नईम का काम सम्भाल लिया और अपने चचेरे भाई फईम के साथ मिलकर उपरोक्त कार्य करने लगा। अभियुक्त वसीम मलिक ने पूछने पर बताया कि उसने कक्षा-2 तक पढने के बाद पढाई छोड दी थी और अपने पिता के साथ राँची झारखण्ड चला गया जो वहाँ कबाड का काम करते थे। करीब 8 से 10 साल वहाँ काम करने के बाद वापस मेरठ आ गया। वसीम गाजियाबाद, मु0नगर और मेरठ में कबाड की फेरी करने लगा इसी बीच वसीम की मुलाकात जावेद मीरापुर (चोर) से हुई उसने वसीम को आर0आर0यू0 के काम के बारे मे बताया, ज्यादा फायदे के लालच मे आकर वसीम ने मोबाइल टावरों से चोरी का माल लेकर शाहरूख व उसके भाई नईम को देना शुरू कर दिया। अभियुक्त अनस ने पूछने पर बताया कि वह 10वीं तक पढा है गलत संगत के कारण उसने पढाई छोड दी और अपने पिता की परचून की दूकान पर बैठने लगा लेकिन वहाँ से बाहर जाकर दोस्तों से मिलना नही हो पा रहा था तो दूसरे के कपडे की दुकान पर सेल्समैन का काम करने लगा जिसमे उसको 10 हजार रू0 मिलते थे परन्तु खर्चा ज्यादा होने के कारण वह काम भी छोड दिया। अनस की शाहरूख से दोस्ती होने के कारण शाहरूख ने अनस को आर0आर0यू0 की खरीद फरोख्त मे होने वाला फायदा बताकर अपने साथ मिला लिया। अनस मोबाइल टावरों से चोरी करने व चोरी का

माल लेकर फईम व शाहरूख को देने लगा। अभियुक्त साहिल मलिक ने पूछने पर बताया कि वह 8वीं कक्षा तक पढने के बाद पढाई छोड दी और अपने पिता के साथ सरिया का जाल बाँधने की मजदूरी करने लगा इसी बीच उसे हिण्डन विहार का गोल्डी उर्फ फरहान मिला जो मोबाइल टावरों से चोरी करता था, साहिल गोल्डी तथा उसके साथियों कासिम, राहुल, कय्यूम व जावेद के साथ चोरी करने जाने लगा प्रत्येक चोरी पर साहिल को 5 हजार रू0 मिलने लगे। अभियुक्त कय्यूम ने पूछने पर बताया कि उसने 9वीं कक्षा तक पढाई की है फिर पढाई छोडकर कुछ दिन मजदूरी करने के बाद ड्राईविंग सीख ली और लोडिंग की गाडी चलाने लगे इसी बीच उसे साहिल व गोल्डी उर्फ फरहान मिले जो मोबाइल टावरों से चोरी करते थे, कय्यूम, गोल्डी तथा उसके साथियों साहिल, कासिम, राहुल व जावेद के साथ चोरी करने जाने लगा क्योकिं कय्यूम गाडी भी चलाता है तो कय्यूम को प्रत्येक चोरी पर 8 हजार रू0 मिलने लगे। बाकी पैसे गोल्डी उर्फ फरहान, कासिम, राहुल व जावेद आपस में बाँट लेते थे।

सभी अभियुक्तों ने पूछने पर बताया पिछले कुछ वर्षों से मोबाइल टावरों की बैट्री, रेडियो रिसीवर यूनिट व अन्य इलैक्ट्रोनिक डिवाईस की चोर बजारी में काफी माँग चल रही है मोबाइल टावरों पर लगे उपकरण काफी मँहगे होते है और इनको चुराना काफी आसान होता है। पहले ये लोग अलग-अलग आर0आर0यू0 की चोरी करते व बेचते थे, फिर इन्होनें मिलकर अपना एक संगठित गिरोह बना लिया। इनके गिरोह मे शाहरूख मलिक, वसीम मलिक, नईम मलिक, फईम मलिकअनवर , मलिक, अनस, साहिल मलिक, कय्यूम, गोल्डी उर्फ मौ ,राहुल कुमार ,कासिम ,फरहान. जावेद पुत्र रियाजु ,जाकिरदीन, हाजी जावेद मलिक पुत्र शब्बीर मलिक, खालिद उर्फ मुल्ला व इरशाद गिरोह के सक्रिय सदस्य हैं। इन सब लोगो का मोबाईल टावरों से रेडियो रिसीवर यूनिट ,मोबाइल टावरों की बेसबैण्ड यूनिट व अन्य सामान चोरी करने व चोरी के सामान को देश से बाहर बेचने का एक संगठित गिरोह है। इनके गिरोह में फईम व नईम पहले अन्तर्राष्ट्रीय आर0आर0यू0 तस्कर जावेद मीरापुरिया के गैंग मे काम करते थे, धीरे-धीरे इन्होने ने अपना एक अलग गिरोह बना लिया गिरोह के कुछ सदस्य दिन में कबाडे की फेरी करके कबाडे का काम करते है और जिस मोबाइल टावरों से इनको चोरी करनी होती है उसको ये लोग दिन के समय ही कबाडे की फेरी करते हुए चिन्हित कर लेते है घटना स्थल पर जाने के लिए गाडी का इन्तजाम शाहरूख व वसीम व गोल्डी उर्फ फरहान करते हैं रात्रि के समय मे उपलब्ध गाडियों से ये लोग चिन्हित किये गये टावर पर पहुँच जाते है और इनके दो-तीन साथी मोबाइल टावर पर चढ जाते है और औजारों की मदद से उसमे लगे रेडियो रिसिवर यूनिट, बैट्री व अन्य कीमती उपकरण चोरी कर लेते है, चोरी करने के बाद चोरी किया सामान ये लोग उसी गाडी मे रखकर फरार हो जाते है। चोरी किये गये माल को बेचने के लिए शाहरूख, वसीम मलिक, नईम मलिक, अनवर मलिक, अनस, हाजी जावेद, खालिद उर्फ मुल्ला को पहुँचाते है फिर ये लोग माल को प्लास्टिक के कवर लगाकर पैक कर देते है पैक करके माल को फईम ट्रान्सपोर्ट के माध्यम से पानी के जहाज द्वारा हॉगकॉग (चीन) भेजता है। माल बेचने के बाद जो रूपये मिलते है उसको ये लोग आपस मे बाँट लेते है। अपने-अपने हिस्से मे आये रूपयो से ये लोग अपने शौक व खर्चे पूरे करते है।

पूछताछ करने पर पकडे गये अपराधियों ने यह भी बताया कि इन लोगो ने पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, गाजियाबाद, नोएडा दिल्ली एन0सी0आर0 व पश्चिमी उत्तर प्रदेश मे कई स्थानों पर मोबाइल टावरो से रेडियो रिसिवर यूनिट, बैट्री व अन्य कीमती उपकरण चोरी किये है। पूछताछ पर मोबाइल टावरो से रेडियो रिसीवर यूनिट, बैट्री व अन्य कीमती उपकरण चोरी करने वाले अन्य अपराधियों के सम्बन्ध में कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली हैं। जिसके आधार पर टीमें बनाकर माल बरामदगी व गिरफ्तारी हेतु दबिशें दी जा रही हैं। पूर्व मे भी

क्राईम ब्रान्च द्वारा जावेद मीरापुरिया व उसके गैंग के करीब 39 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनसे भारी मात्रा में मोबाइल टावरों के उपकरणों की बरामदगी की जी चुकी है। निश्चित रूप से इस प्रकार की पुलिस कार्यवाही से पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद व आस-पास के क्षेत्रों में मोबाइल टावरों से रेडियो रिसिवर यूनिट, बैट्री व अन्य कीमती उपकरणों की चोरी पर रोक लगेगी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1.शाहरूख मलिक पुत्र शफी अहमद निवासी म0न0- डी/27, 4929 गली नम्बर-जीरो कान्ति नगर थाना कृष्णा विहार दिल्ली उम्र करीब 30 वर्ष (कबाडी)

2.वसीम मलिक पुत्र सलीमुद्दीन निवासी गली न0-1 समर कालोनी लिसाडी गेट थाना लिसाडी गेट मेरठ उम्र करीब 35 वर्ष (कबाडी)

3.अनस खान पुत्र अकरम निवासी किराये का मकान बी-19 गली न0-8, 4929 कान्ति नगर थाना कृष्णा नगर दिल्ली उम्र करीब 22 वर्ष (चोर/कबाडी)

4.साहिल मलिक पुत्र बशीर मलिक निवासी सद्दाम स्कूल के पास रहमानी मस्जिद अलीगढ हाल पता कनस्तर वाली गली वर्ष 19 जावेद की दुकान के पास हिण्डन विहार थाना नन्दग्राम गाजियाबाद उम्र करीब , (चोर)

5.कय्यूम मंसूरी पुत्र बबलू मंसूरी निवासी कनस्तर वाली गली जावेद की दुकान के पास हिण्डन विहार थाना नन्दग्राम गाजियाबाद मूल पता मौहल्ला नौलखा थाना कोतवाली फर्रूखाबाद जिला फर्रूखाबाद उम्र करीब वर्ष 19 (चोर)

अभियुक्तगण से बरामदगी का विवरण –

1.मोबाइल टावर की रेडियो रिसिवर यूनिट-74

2.मोबाइल टावर बेसबैण्ड यूनिट-122

3.मोबाइल टावर आरके कनेक्शन की तरफ के प्लास्टिक के कवर .यू.आर.- 15 कट्टे

4.चोरी की आर0आर0यू व बी0बी0यू0 पैकिंग करके विदेश भेजने के लिए पैकिंग वाले गत्ते- 30

5.घटना करने मे प्रयुक्त थार गाडी रंग काला बिना नम्बर प्लेट– 01

6.घटना करने प्रयुक्त स्विफ्ट कार रंग ग्रे बिना नम्बर – 01

7.घटना करने मे प्रयुक्त फ्रोन्क्स कार रंग सफेद बिना नम्बर प्लेट-01

आपराधिक इतिहास-

1.अभियुक्त शाहरूख के विरूद्ध असम मे 02 व गाजियाबाद में 02 कुल 04 अभियोग पंजीकृत है।

2.अभियुक्त वसीम के विरूद्ध असम मे 03 व गाजियाबाद में 02 कुल 05 अभियोग पंजीकृत है।

3.अभियुक्त अनस के विरूद्ध असम 04 व गाजियाबाद मे 01 कुल 05 अभियोग पंजीकृत है।

4.अभियुक्त साहिल के विरूद्ध असम मे 02 व गाजियाबाद मे 02 कुल 04 अभियोग पंजीकृत है।

5.अभियुक्त कय्यूम के विरूद्ध बागपत मे 02, गाजियाबाद मे 02 कुल 04 मे अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

क्राइम ब्रान्च, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

थाना वेव सिटी पुलिस टीम

क्राईम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा अवैध शराब की तस्करी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह का वाँछित शातिर शराब तस्कर गिरफ्तार

दिनांकः- 09/12/2024 को क्राईम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा चंडीगढ, पंजाब की अवैध अग्रेंजी शराब की तस्करी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 01 शातिर अन्तर्राज्यीय शराब तस्कर को अवैध शराब से भरी आईसर कैन्टर सहित थाना मधुबन बापूधाम गाजियाबाद क्षेत्र से गिरफ्तार करने मे महत्तवपूर्ण सफलता हासिल की गयी थी। जिसमें आईसर कैन्टर में चंडीगढ, पंजाब से तस्करी कर लाई जा रही कुल 210 पेटी ईम्पीरियल ब्लू व ओल्ट हैबिट मार्का अवैध अग्रेजी शराब बरामद हुई थी जिसमें शराब तस्करी करवाने वाला मुख्य अभियुक्त जिसकी शराब थी कैन्टर के साथ आई-20 से चल रहा था मौके से फरार गया था।

दिनाँक-21/12/2024 को क्राईम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा उक्त घटना में वाँछित मुख्य शराब तस्कर नरेश यादव को थाना मधुबनबापू धाम क्षेत्र से गिरफ्तार करने मे महत्तवपूर्ण सफलता अर्जित की गयी है।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ पर अभियुक्त नरेश यादव ने बताया कि वह 8वीं पास है। पढाई छोडने के बाद वह खेतीबाडी का काम करने लगा, 4-5 वर्ष पहले वह पडोसी गाँव के रहने वाले विकास उर्फ पहलवान के सम्पर्क मे आया जो बिहार सरकार द्वारा अपने राज्य मे शराब की बिक्री बैन किये जाने के कारण हरियाणा, पंजाब व हिमाचल प्रदेश से अवैध शराब तस्करी करके बिहार सप्लाई करता था, जिसमें उसको काफी फायदा होता था। नरेश लालचवश विकास पहलवान के साथ अवैध शराब तस्करी का काम करने लगा तथा हरियाणा, पंजाब व हिमाचल प्रदेश से अवैध शराब को तस्करी करके बिहार पहुँचाने लगा। बिहार राज्य मे शराब तस्करी करने के प्रत्येक चक्कर मे जितना भी फायदा होता था दोनो आधा-आधा बाँट लेते थे तथा ड्राईवर को अलग से 25 हजार रूपये देते थे। नरेश यादव पूर्व में गाजियाबाद से अवैध शराब की तस्करी में जेल जा चुका है। नरेश ने बताया कि अवैध शराब के साथ पकडा गया आयसर कैंटर विकास पहलवान ने खरीद रखा है। नरेश व विकास पहलवान हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश की बनी हुई शराब को आईसर कैन्टर में नीचे लोड करके उसके ऊपर खाद, नमक, मुर्गी के दाने इत्यादि की बोरियों को लाद देते है और तिरपाल से ढककर बाँध देते है तथा ड्राईवर अशोक को जो उनका बहुत ही विश्वस्नीय ड्राईवर है को देते है। शराब से लदी गाडी को तस्करी के लिए लेकर चलने से पहले ये लोग अपने-अपने मोबाइल बन्द कर लेते है तथा नरेश व विकास पहलवान एक छोटी गाडी से आईसर कैन्टर के थोडा आगे या पीछे रहकर बिहार तक जाते है। गिरफ्तार अभियुक्त नरेश यादव अवैध शराब तस्करी करने से मिले रूपयों से अपने घर के खर्चे व अपने शौक पूरे करता है।

अभियुक्त से पूछताछ पर अवैध शराब के बिक्री व तस्करी करने वाले अपराधियों के सम्बन्ध में कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली हैं। जिसके आधार पर टीमें बनाकर अवैध शराब की बरामदगी व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दबिशें दी जा रही हैं। निश्चित रूप से इस प्रकार की पुलिस कार्यवाही से अवैध शराब की तस्करी व उससे होने वाली राजस्व की हानि पर निश्चित रूप से रोक लगेगी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1.नरेश यादव पुत्र अमर सिंह निवासी ग्राम गोकलगढ थाना रेवाडी हरियाणा उम्र करीब 38 वर्ष

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त नरेश यादव के विरूद्ध गाजियाबाद में 03 अभियोग अवैध शराब तस्करी के सम्बन्ध में पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.क्राइम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

2.थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा मारपीट की घटना कारित करने वाले 05 अभियुक्त गिरफ्तार।

आज दिनांक 22.12.2024 को थाना शालीमार गार्डन पर वादी कृष्ण कुमार शर्मा पुत्र श्री माही चन्द्र शर्मा निवासी 6/12 सै0-02 राजेन्द्र नगर थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद द्वारा तहरीर दी गई कि एक गाड़ी DL2CBE6436 जिसमें 05-06 अज्ञात व्यक्ति सवार होकर मेरे घर के आस-पास चक्कर लगा रहे थे तभी कॉलोनी के चौकीदार ने उन्हे रोकने का प्रयास किया तो गाड़ी में सवार व्यक्ति उतरकर गाली गलौच करने लगे, जैसी ही मै चौकीदार के पास पहुचा उन सभी ने मिलकर मेरे साथ मारपीट शुरु कर दी तभी थाना थालीमार गार्डन की पुलिस मौके पर आ गई और मारपीट करने वाले 05 अभियुक्तगण 1. युगल कुमार पुत्र मुन्ना लाल कनौजिया पता J-903 दिया ग्रीन सिटी राजनगर एक्सटेन्सन गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष, 2. राजेश कुमार पुत्र स्व0 जे.एस. राणा पता 5/28 सेक्टर 2 राजेन्द्र नगर थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद उम्र करीब 54 वर्ष, 3. प्रत्यक्ष राणा पुत्र राजेश राणा पता 5/28 सेक्टर 2 राजेन्द्र नगर थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद उम्र करीब 54 वर्ष, 4. नमन वंशल पुत्र अतुल वंशल पता A-103 एन्जेल मरकरी थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष, 5. आदित्य वंशल पुत्र अतुल वंशल पता A-103 एन्जेल मरकरी थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष को गिरफ्तार कर अन्तर्गत धारा 170,126,135 बीएनएसएस आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित है। गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण: गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्तगण गाड़ी में बैठकर नशे की हालत में आपस में गाली गलौच करते हुए कॉलोनी का बार बार चक्कर लगा रहे थे। चौकीदार ने उन्हे रोककर बार बार आने का कारण पूछा तभी अभियुक्तगण चौकीदार के साथ झगड़ा करने लगे तभी वादी कृष्ण कुमार शर्मा पुत्र श्री माही चन्द्र शर्मा चौकीदार को बचाने के लिये पहुंचे तो अभियुक्तगणों ने वादी के साथ ही मारपीट शुरु कर दी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:

1. युगल कुमार पुत्र मुन्ना लाल कनौजिया पता J-903 दिया ग्रीन सिटी राजनगर एक्सटेन्सन गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष।
2. राजेश कुमार पुत्र स्व0 जे.एस. राणा पता 5/28 सेक्टर 2 राजेन्द्र नगर थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद उम्र करीब 54 वर्ष।
3. प्रत्यक्ष राणा पुत्र राजेश राणा पता 5/28 सेक्टर 2 राजेन्द्र नगर थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद उम्र करीब 54 वर्ष।
4. नमन वंशल पुत्र अतुल वंशल पता A-103 एन्जेल मरकरी थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष।
5. आदित्य वंशल पुत्र अतुल वंशल पता A-103 एन्जेल इन्द्रापुरम थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्तगणों का अपराधिक इतिहास:

- गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

- थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।